मनिंदरजीत सिंह बिट्टा

बनाम

भारत संघ व अन्य

(रिट याचिका (दीवानी) संख्या 510/2005)

8 मई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, सी. के. ठाकर और लोकेश्वर सिंह पांटा,

न्यायाधिपतिगण]

मोटर वाहन नियम, 1989- नि. 50 -उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एच. एस. आर. पी.) की योजना –नियम 50 और अधिसूचना जारी करके- * एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मामले में पारित निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के लिए मानदंड – सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फैसले को लागू करने की मांग के लिए- अभिनिर्धारित: सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की गई थी - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश संशोधित नियम 50 और एच. एस. आर. पी की योजना को प्रभावी बनाने के संबंध में निश्चित निर्णय ले।

एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ और अन्य में पारित निर्णय जिसके द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एच. एस. आर. पी.) के मानदंड तय किए गए थे, के कार्यान्वयन के लिए इस अदालत के

समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। यह तर्क दिया गया कि फैसले के बावजूद, एच. एस. आर. पी. की योजना अभी तक लागू नहीं की गई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एच. एस. आर. पी.) योजना नागरिकों की सार्वजनिक सुरक्षा और हिफाजत के लिये लागू हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों ने अभी तक निविदाएं जारी नहीं की हैं और कुछ मामलों में निविदाएं जारी होने के बाद कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई देती है। यह सभी संबंधित लोगों के हित में होगा, यदि राज्य और संघ क्षेत्र इस बारे में निश्चित निर्णय लेते हैं कि मोटर वाहन नियम 1989 के संशोधित नियम 50 और एच. एस. आर. पी. की योजना को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है या नही और इनकी पालना के लिए तरीके। यदि पहले से निर्णय नहीं लिया गया है तो आवश्यक निर्णय इस निर्णय की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर लिए जाएं। निर्णय लेते समय इस न्यायालय द्वारा * एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स निर्णय में उजागर किए गए पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। [पैरा 5,6,8 और 9] [1190-बी, ई, एफ, जी]

* एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ और अन्य। 2005 (1) एस. सी. सी. 679-संदर्भित।

दीवानी मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (दीवानी) सं. 510/ 2005

विकास सिंह, ए. एस. जी., के. एन. बालगोपाल, अधिवक्ता जनरल।

मुकल रोहतगी, एस. के. दुबे, वी. ए. बोबडे, सुनीता शर्मा, डब्ल्यू. ए. कादरी, डी. एस. माहरा, बी. कृष्ण प्रसाद, जी. प्रकाश, अर्पुथम अरुणा, हेमंतिका वाही, अनिल कटियार, वी. जी. प्रगसम, कृष्णानंद पांडे, संजय हेगड़े, विक्रांत यादव, अमित चावला, रमेश एस. जाधव, अनीस सुहरावर्दी, एस. मेहदी इमाम, तबरेज अहमद, राधा श्याम जेना, अरुणेश्वर गुप्ता, रंजन मुखर्जी, बी. एस. बंथिया, विकास उपाध्याय, अविजीत भट्टाचार्य, आर. सतीश, गोपाल सिंह, राजेश श्रीवास्तव, रमेश बाबू एम. आर., डी. भारती रेड्डी, कामिनी जैसवाल, बी. बी. सिंह, अरुण के. सिन्हा, अनुराग चौधरी, साकेत सिंह, नीना सिंह, विकास मेहता, टी. वी. जॉर्ज, ए. सुभाशिनी, ख्वैरकपम नबीन सिंह, रतन कुमार चौधरी, बिनोद के. उपाध्याय, मैसर्स कॉर्पोरेट लॉ समूह, रीना सिंह, विवेक सिंह, जतिंदर कुमार भाटिया, एस बालाजी, मधुष्मिता बोरा, रितु राज, अनिल श्रीवास्तव, यू. हजारिका, सत्य मित्रा, सुमिता हजारिका, प्रमोद स्वरूप, ए शर्मा (मैसर्स कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप) उपस्थिति पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा किया गया :

1. यह रिट याचिका जनहित में दायर किया जाना कथित है। प्रार्थना मुख्यत: राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस न्यायालय का निर्णय

एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ और अन्य [2005 (1) एस. सी. सी. 679] के कार्यान्वयन की है। उक्त निर्णय में निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिसों के नियम और शर्तें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 41(6) और मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 (संक्षेप में 'नियम') को लागू करने के उद्देश्य पर विचार किया। शिकायत की गई कि यद्यपि उपरोक्त निर्णय में मानदंड तय किए गए थे और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (संक्षेप में 'एच. एस. आर. पी') होने की वांछनीयता पर प्रकाश डाला गया परंतु कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार अपराध और आतंकवादी गतिविधियाँ में मोटर वाहनों का उपयोग एक उपकरण के रूप में करने के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय सरकार एच. एस. आर. पी. की एक नई योजना लेकर आई। तदनुसार, अधिनियम की धारा 41 (6) सपठित धारा 64 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों के नियम 50 को केंद्र द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.3.2001 द्वारा लागू किया गया। पंजीकरण प्राप्त करने की पुरानी विधि आर. टी. ओ. से नंबर लेना और नंबर प्लेट खुले बाजार में बनाने के बजाय, नंबर प्लेट जारी करना और ठीक करने की एक नई प्रणाली को विनियमित करते हुए पेश किया गया था। इसके बाद योजना की आवश्यकता को पूरा करने बाबत दो और दिनांकित 22.8.2001 और 16.10.2001 अधिसूचनाएँ जारी की गईं। पिछले

निर्णय में विवाद मोटर वाहनों के लिए एच. एस. आर. पी. की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का नोटिस के नियमों और शर्तों से संबंधित था। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के आधार पर अधिनियम और नए संशोधित नियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निविदाएं जारी की गई थीं।। पैरा 10,11 और 12 में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः

> "10. उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट की मुख्य विशेषताएं नियम 50 और 2001 के आदेश के अनुसार इस प्रकार हैः
>
> 1. यह एक ठोस एल्यूमीनियम प्लेट प्रदान करता है।
>
> 2. प्लेट गर्म मुद्रांकन के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और यह एक प्रतिबिंबीत शीट होगी।
>
> 3. प्लेट पर नीले रंग में "आईएनडी" अक्षर होने चाहिए।
>
> 4. इसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम होना चाहिए जिसपे भी गर्म मुहर लगेगी।
>
> 5. एक तीसरा पंजीकरण चिह्न होगा जो क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर होने के नाते प्रतिबिंबित होगा और जिसे वाहन की विंडशील्ड पर चिपकाया जाएगा।
>
> 6. पीछे की प्लेट को गैर-हटाने योग्य/गैर-पुनः प्रयोज्य

स्नैप-लॉक फिटिंग सिस्टम के साथ बांधा जाएगा।

11. उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए उपर्युक्त विशेषताएं पर निम्नलिखित कारणों से जोर दिया गया:

1. गर्म क्रोमियम-आधारित होलोग्राम जालसाजी से बचाव करेगा।

2. प्लेट पर अंकित "आईएनडी" राष्ट्रीय पहचान और मानकीकरण को सुनिश्चित करेगा।

3. हर प्लेट पर निर्माता द्वारा दिया गया लेसर-अंकित सात अंकों का कोड पंजीकरण प्लेटों की देश भर में क्रमिक पहचान सुनिश्चित करेगा। यह एक वाटरमार्क का काम करेगा और किसी भी यांत्रिक या तकनीकी प्रक्रिया से इसे मिटाया नहीं जा सकेगा।

4. पीछे के भागों पर लगाए गए स्नैप-लॉक में छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। प्लेट को हटाने का कोई भी प्रयास इसे तोड़ देगा।

5. उच्चतर श्रेणी की प्रतिबिंबीत चादर कम से कम 200 मीटर से दिखाई देगी।

6. अक्षरांकीय आसानी से पढ़ा और पहचाना जा सकेगा।

7. अक्षरांकीय सीमा पर 'आइएनडी अक्षर पेंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग को रोकेगा जो जालसाजी से सुरक्षा के रूप में काम करेगा।

8. विंडशील्ड पर चिपकाया जाने वाला स्टिकर पर सात अंकों का लेजर कोड होगा जिसमें इंजन नंबर और चेसिस नंबर होगा। यह इस तरह से बनाया गया है हटाने पर आत्म-विनाशकारी होगा।

12. अधिनियम की धारा 109 (3) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में नियम 50 में संशोधन और नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (संशोधन) आदेश, 2001 जारी होने के बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसके दिनांकित पत्र 6-3-2002 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित 4-3-2001 की पंजीकरण प्लेटों की प्रणाली को लागू करने के नए नियम लागू के संबंध मे हुई बैठक की मुख्य बाते प्रसारित की। राज्यों के साथ संघ द्वारा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। आखिरकार, 6-3-2002 पर केंद्र ने विभिन्न राज्यों द्वारा जारी की जाने वाली निविदाओं को आमंत्रित करने वाले नोटिसों में आवश्यक शर्तें शामिल करने के लिए दिशानिर्देश

निर्धारित किए। मुख्यतः, दिशा-निर्देश के सुझाव इस प्रकार हैः

1. निविदा दस्तावेज निर्दिष्ट करेगा कि क्या विक्रेता की नियुक्ति पूरे राज्य के लिए थी या कुछ हिस्सों के लिए।

2. निविदा दस्तावेज बैंक गारंटी की शर्तों को निर्दिष्ट करेगा।

3. निविदा दस्तावेज में "आवधिक और नियमित आधार" पर कुछ पहलुओं पर पुनः रिपोर्ट का प्रावधान होगा।

4. बोलीदाता को इस क्षेत्र में पिछले अनुभव/ विशेषज्ञता या यह एक सहयोगी के साथ का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।"

2. इस न्यायालय ने विभिन्न प्रावधानों और प्रिस्क्रिप्शन के इरादे का विश्लेषण करने के बाद सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर और उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

3. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि योजना जो अधिसूचनाओं दिनांकित 22.8.2001 और 16.10.2001 में निहित वे इस प्रकार हैं:

"(i) यह उच्च सुरक्षा तकनीकी विशेषताओं को निर्धारित करता है जोप्लेटों में होना चाहिए। ये विशेषताएँ ऐसी हैं कि प्लेटों को दोहराया, हटाया या बदला नहीं जा सकता है। यह

भी सुनिश्चित करता है कि वाहन की पहचान और ट्रैकिंग निश्चित और आसान हो।

(ii) यह बाध्यकारी है की आने वाले निर्माता के पास किसी अधिसूचित संस्था से टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट (टीएसी) हो। कंपनी नमूना जमा करती है जिनका नियम 50 की आवश्यकताएँ के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है।

(iii) राज्य अपने आर. टी. ओ. के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी है। आर. टी. ओ. को नंबर के साथ प्लेट भी जारी करनी होती है जिसे आर. टी. ओ. के परिसर में चयनित निर्माता द्वारा लगाया जाएगा।"

4. यह इंगित किया जाता है कि उपरोक्त मामले में रिट याचिकाकर्ताओं के आधार की अस्वीकृति के लिए प्राथमिक कारण इस प्रकार है :

"(क) सख्त शर्तों को लागू करना उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिये है।

(ख) परीक्षण और त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य के पास है यह सुनिश्चित करने काभारी कर्तव्य है कि यह उन सब को हट दे जो दावा करते हैं कि वे वितरित कर सकते हैं लेकिन उनके पास न तो है अनुभव और न ही देने की वित्तीय क्षमता। वे वहाँ किसी भी तरह काम पाने के लिए

हैं।

(ग) अब तक प्लेटों के निर्माण की तकनीक भारत में विकसित नहीं हुई है। इस प्रकार एक शुद्ध भारतीय निर्माता बिना जे. वी. भागीदार के नहीं हो सकता है।

(घ) शर्तें उचित और सही हैं। वे मनमानी नहीं हैं और दुर्भावना से मुक्त हैं।

(ड़) सिर्फ इसलिए की कुछ निर्माता ही हैं जो पात्रता परीक्षा पास कर सकते हैं का मतलब यह नहीं है कि उनके पक्ष में एकाधिकार है या कि शर्तें उनके अनुरूप बनाई गई हैं।

(च) 15 वर्ष के लिए संविदा एवं एक ही निर्माता का पूरे राज्य के लीये चुनाव को भी जायज़ और तर्कसंगत माना। एकाधिकार के निर्माण के बारे में तर्क को भी खारिज कर दिया गया था"

5. याचिकाकर्ता और मध्यस्थ अर्थात समस्त भारतीय मोटर वाहन सुरक्षा संघ की शिकायत है कि निर्णय के बाद भी एच. एस. आर. पी. की योजना को अभी तक किसी राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया है सिवाय मेघालय राज्य के द्वारा और बाकी राज्य अभी भी निविदा की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। इसलिये प्रार्थना यह है कि योजना को शुरू करने का उद्देश्य अक्षर और भावना से पूरा होना चाहिए। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा

और संरक्षा है इसमे कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए। यह बताया गया है कि अधिकांश राज्यों ने निविदाएं जारी कीं और उसके बाद बिना किसी कारण के प्रक्रिया धीमी हो गई है। दाखिल किए गए विवरणों से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता हैः

श्रेणी	राज्यों के अनुसार एन. आई. टी. की अवस्था और स्थिति विज़-ए-विज़ सम्माननीय न्यायालय के एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ और अन्य (2005 (1) एससीसी 679) के निर्णय
श्रेणी-1	जिन राज्यों ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष निविदा की शर्तों का बचाव किया था और दिनांक 30.11.2004 2005(1) एस. सी. सी.679 के निर्णय की दिनांक के बाद निविदा रद्द कर दी 1. जम्मू और कश्मीर 2. पंजाब 3. हरियाणा 4. महाराष्ट्र 5. पांडिचेरी

श्रेणी-II	जिन राज्यों ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष निविदा की शर्तों का बचाव किया था और इसके बाद में 2005(1)एस. सी. सी.679 के माननीय न्यायालय के निर्णय के सामंजस्य में नए सिरे से निविदा जारी की गई 1. केरल 2. राजस्थान 3. दादरा नगर हवेली 4. दमन और दीव
श्रेणी III	जिन राज्यों ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष निविदा की शर्तों का बचाव किया था और बाद में आवश्यक शर्तों और जो न्यायालय के समक्ष कहा था के बिना निविदा फिर से जारी किया। 1. पश्चिम बंगाल 2. तमिलनाडु
श्रेणी-IV	जिन राज्यों ने 2005(1) एस. सी. सी. 679 में इस माननीय न्यायालय के फैसले के बाद उक्त निर्णय में बरकरार रखी गई निविदा शर्तों के

	अनुरूप निविदा जारी की है। 1. कर्नाटक 2. गोवा 3. मिजोरम 4. मणिपुर
श्रेणी-V	राज्य जिन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष निविदा की आवश्यक शर्तों का बचाव किया और बाद में वो ही निविदा दे दी। 1. नागालैंड 2. मेघालय
श्रेणी VI	जिन राज्यों ने दिनांक 30.11.2004 के बाद बिना निविदा की आवश्यक शर्तों के निविदा जारी की है। 1. असम 2. त्रिपुरा 3. अंडमान और निकोबार
श्रेणी VII	उत्तर प्रदेश राज्य जिसके द्वारा निविदा आमंत्रित करने का नोटिस आवश्यक शर्तों के बिना

	दिनांक 27.4.2003 को जारी किया हालांकि शर्तें और आशय पत्र दिनांक 07.5.2003 पर जारी किया गया लेकिन अनुबंध अभी तक हस्ताक्षरित होना बाकी है। उत्तर प्रदेश राज्य को आवश्यक शर्तों के साथ नई निविदा जारी करने का निर्देश दिया जाए।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों ने अभी तक निविदाएँ जारी नहीं की और कुछ मामलों में निविदाओं के बाद वहाँ कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई देती है।

7. भारत संघ और कुछ राज्यों ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया और कथंन किया कि यह कोई लोक हित याचिका नहीं है और कुछ व्यावसायिक संस्थानों,जो निविदाओं से लाभान्वित होंगे, ने वाद कारण को वैधता से जोड़ने के लिए याचिकाकर्ता को एक मोर्चे के रूप में रखा है। यह कथन किया है कि अतः यह व्यावसायिक हित है जो इसकी पृष्ठभूमि में छिपा हुआ है और व्यावसायिक मामलों में इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

8. इस सवाल में गए बिना कि क्या याचिका एक प्रामाणिक जनहित याचिका है, हमें लगता है कि यह सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित

प्रदेशों के हित में होगा अगर संशोधित नियम 50 और एच. एस. आर. पी. की योजना और उसके तरीके की पालना पर निश्चित निर्णय लें लिया जाए।

9. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस योजना को नागरिकओं की लोक सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। यदि पहले से ही ऐसे निर्णय नहीं लिए गए हैं, तो आज से छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक निर्णय लिए जाएँ। यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि निर्णय लेते समय इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय में पहले से उल्लिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

10. अतः रिट याचिका और अंतरवृत्ति आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है, खर्चो के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बी. एल. चन्देल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।